

वेबसाइट www.govtppressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी 2016-पौष 25, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF NAME

I, ANURODH KUMAR, residing at H. No. 6, Shalimar Park, Kolar Road, Bhopal (M.P.). Solemnly declare that I have changed present name into new name ANURODH KUMAR TO ANURODH SHRIVASTAVA. Now I am known and addressed by this new name.

Old Name :

New Name :

(ANURODH KUMAR)

(ANURODH SHRIVASTAVA)

(534-B.)

CHANGE OF NAME

I, Kanchan abhichandani R/o Lotus Supreme-10, Suncity Airport Road, Bhopal (M.P.), declare that my previous name was Hemlata Meghani at present after marriage my new name is Kanchan Abhichandani.

Old Name :

New Name :

(HEMLATA MEGHANI)

(KANCHAN ABHICHANDANI)

(535-B.)

W/o. Suresh Kumar Abhichandani.

उप-नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम मनीष जैन आ. श्री मूलचंद झाबक था, आज से मेरा परिवर्तित नया नाम मनीष झाबक आ. श्री मूलचंद झाबक हो गया है, लिहाजा आज के बाद भविष्य में मुझे मनीष झाबक आ. श्री मूलचंद झाबक के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

(मनीष जैन)

(मनीष झाबक)

(537-बी.)

निवासी-ए-81, हाऊसिंग बोर्ड,
कोहेफिजा, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

शादी के पूर्व में मेरा नाम कुमारी सेतु सिंह पुत्री श्री बलराम सिंह था, आज से मेरा परिवर्तित नया नाम श्रीमति सेतु सिंह भदौरिया पत्नी श्री रत्नेश भदौरिया हो गया है, लिहाजा आज के बाद भविष्य में मुझे श्रीमति सेतु सिंह भदौरिया पत्नी श्री रत्नेश भदौरिया के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(कुमारी सेतु सिंह)

(538-बी.)

नया नाम :

(सेतु सिंह भदौरिया)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती रिशिता रावत पति श्री राकेश रावत, निवासी- 207, अनमोल हाईट्स न्यू रामनगर, अधारताल जबलपुर की हूँ, शादी के पहले मेरी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में मेरा नाम कु. सुनीता शुक्ला पिता मथुरा प्रसाद शुक्ला था और शादी के बाद मेरा नाम श्रीमती रिशिता रावत पति श्री राकेश रावत हो गया है। आज के बाद जहाँ भी आवश्यकता हो समस्त प्रकार के शैक्षणिक दस्तावेजों में सही नाम रिशिता रावत जाना-पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(कु. सुनीता शुक्ला)

(539-बी.)

नया नाम :

(रिशिता रावत)

पति-राकेश रावत।

उप-नाम परिवर्तन

मैं, उमाकांत सूरोठिया तनय स्व. श्री फुन्दूलाल शर्मा, आयु करीब 60 वर्ष, निवासी ऐप्टेक सिटी देरी रोड, छतरपुर, तहसील व जिला छतरपुर मध्यप्रदेश का हूँ, जो कि निम्नलिखित शपथपूर्वक कथन करता हूँ:-

1. यहकि मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मैं ऐप्टेक सिटी, देरी रोड, वार्ड नं. 149, छतरपुर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश का निवासी हूँ.
2. यहकि मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मैं अभी तक अपने नाम में सरनेम शर्मा लेख करता रहा हूँ किंतु मेरे परिचय-पत्र में सरनेम सूरोठिया लेख है और मेरे बच्चे भी अपने नाम के सामने सरनेम में सूरोठिया लेख करते हैं। इसलिए भविष्य में कोई परेशानी बच्चों को न हो इसलिए मैंने अब आज दिनांक से अपने सरनेम में सूरोठिया.लिखना प्रारम्भ कर दिया है। अब मुझे उमाकांत शर्मा की जगह उमाकांत सूरोठिया ही समझा जाए व मैं सभी आगे के दस्तावेजों में उमाकांत सूरोठिया के रूप में ही हस्ताक्षर आदि करूँगा, जो सही व सच है। अब मैंने सभी शासकीय व अर्धशासकीय दस्तावेजों में उमाकांत शर्मा की जगह उमाकांत सूरोठिया दर्ज कराने के लिए यह शपथ-पत्र लेख कराया है, जो सही व सच है।

पुराना नाम :

(उमाकान्त शर्मा)

(536-बी.)

नया नाम :

(उमाकान्त सूरोठिया)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्रीनिवास सावनवाला एण्ड कं. स्थित महु नीमच मार्ग, नीमच जिसका पंजीयन क्रमांक 1131-1974-75, दिनांक 04 नवम्बर, 1974 है। जिसमें दिनांक 10 मार्च, 1994 को भागीदार श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री श्रीनिवास जी, निवासी महु, नीमच रोड, नीमच की मृत्यु हो जाने एवं श्रीमती जानीबाई पति श्रीनिवास जी अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गई है एवं इसी दिनांक 10 मार्च, 1994 से नवीन भागीदार के रूप में (1) श्री शैलेन्द्र कुमार पोरवाल श्री कृष्ण कुमार पोरवाल महु, नीमच रोड, नीमच, (2) जितेन्द्र कुमार पोरवाल पति स्व. कृष्ण कुमार पोरवाल महु, नीमच रोड, नीमच फर्म में सम्मिलित हो गये हैं। आम जन एवं सर्वजन सूचित हो।

फर्म-मैसर्स श्रीनिवास सावनवाला एण्ड कं.

राजकुमार पोरवाल,

(भागीदार)।

महु, नीमच रोड, नीमच (म.प्र.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स आदिनाथ मोटर्स, तिलकगांज, सागर (म.प्र.) जो दिनांक 19-01-2000 को निष्पादित की गई थी। जिसमें प्रथम भागीदार श्री महेश कुमार मलैया पुत्र स्व. श्री बालचंद मलैया, उम्र 72 वर्ष एवं द्वितीय भागीदार श्री कपिल मलैया

पुत्र श्री महेश कुमार मलैया, उम्र 45 वर्ष दोनों, निवासी स्टेशन रोड, तलकगंज वार्ड, सागर (म.प्र.) उपरोक्त फर्म में शामिल है. दिनांक 20-02-2015 को फर्म में नई भागीदार श्रीमति प्रीति मलैया पत्नी श्री कपिल मलैया, उम्र 41 वर्ष, निवासी स्टेशन रोड, तिलकगंज वार्ड, सागर (म.प्र.) को शामिल किया गया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित हो.

द्वारा-दुष्यंत शर्मा,
(एडवोकेट)

M.I.G. 112

डॉ. हरसिंह गौर नगर, मकरोनिया,
सागर (म.प्र.).

(541-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स जे. पी. एण्ड कम्पनी फर्म जिसका पता-प्लॉट नं. 106, स्कीम नं.-54, पी. यू. 3, इन्दौर जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00179/07, दिनांक 05-03-2007 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्री गिरीश मतलानी पिता श्री श्रीकिशन मतलानी, 2. श्रीमती चांदनीदेवी मतलानी पति श्री गिरीश मतलानी, 3. श्रीमती हिना वाधवानी पति श्री ओमप्रकाश वाधवानी, 4. श्रीमती मेघना वाधवानी पति श्री नितेश वाधवानी, 5. श्रीमती सुषमा वाधवानी पति स्व. श्री अशोक वाधवानी, 6. श्रीमती पूनम वाधवानी पति श्री किशोर वाधवानी, 2. श्री साहिल वाधवानी पिता श्री ओमप्रकाश वाधवानी भागीदारी फर्म मेसर्स जे. पी. एण्ड कम्पनी में सम्मिलित हुए हैं एवं श्री गिरीश मतलानी पिता श्री श्रीकिशन मतलानी, 2. श्रीमती चांदनीदेवी मतलानी पति श्री गिरीश मतलानी भागीदारी फर्म मेसर्स जे. पी. एण्ड कम्पनी से पृथक् हो गये हैं इन्होंने फर्म से अपना पूर्ण हिसाब-किताब कर लिया है. अब फर्म जे. पी. एण्ड कम्पनी से कोई लेना-देना नहीं है.

यह विदित हो.

तर्फे

मेसर्स जे. पी. एण्ड कम्पनी,

1. श्रीमती हिना वाधवानी पति श्री ओमप्रकाश वाधवानी,
2. श्रीमती मेघना वाधवानी पति श्री नितेश वाधवानी,
3. श्रीमती सुषमा वाधवानी पति स्व. श्री अशोक वाधवानी,
4. श्रीमती पूनम वाधवानी पति श्री किशोर वाधवानी,
5. श्री वंश वाधवानी पिता श्री किशोर वाधवानी,
6. श्री साहिल वाधवानी पिता श्री ओमप्रकाश वाधवानी

(पार्टनर).

(540-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि फर्म मेसर्स SHAH AND COMPANY (शाह एण्ड कम्पनी), एच. पी. सी. डीलर मेन रोड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 84, दिनांक 01-12-2000 है जिसमें दिनांक 20-10-2014 को भागीदार श्रीमती रफिया अब्दुल हुसैन पत्नी स्व. श्री अब्दुल हुसैन, निवासी-18, नादिर कॉलोनी, श्यामला हिल्स, भोपाल का स्वर्गावास हो जाने से फर्म से पृथक् हो गई है एवं इसी दिनांक 20-10-2014 को श्रीमती नईमा हुसैन पत्नी श्री रियाज हुसैन, निवासी-18, नादिर कॉलोनी श्यामला हिल्स भोपाल को फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया है. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

SHAH AND COMPANY (शाह एण्ड कम्पनी),

रियाज हुसैन,

(भागीदार)

एच. पी. सी. डीलर मेन रोड औबेदुल्लागंज,
जिला रायसेन (म.प्र.).

(542-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्री बंशीवाले स्टोन क्रेशर, 38-दुर्गापुरी, गढ़ईपुरा, ग्वालियर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00202/11, दिनांक 14-11-2011 में पंजीकृत है जिसमें दिनांक 30-12-2015 को श्री दिवाकर सिंह पुत्र श्री रामबरन सिंह, निवासी-24, महावीर कॉलोनी, वीराना हाउस, मुरार, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

फर्म-श्री बंशीवाले स्टोन क्रेशर,

राकेश

(भागीदार)

38, दुर्गापुरी, गढ़ईपुरा, ग्वालियर.

(543-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि फर्म M/s Vats Colonizers and Developers, Address: 101, Saya Arcade Padav, Gwalior जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00085/12, दिनांक 27-07-2012 है में दिनांक 16 मई, 2013 को भागीदार श्री जयदेव शर्मा पुत्र श्री के. एल. शर्मा, निवासी आदित्य नगर, माल रोड, मुरार अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 16-05-2013 को श्री एम. हुसैन पुत्र श्री मुनिर हुसैन, निवासी-बंशीपुरा चौराहा, मुरार फर्म में सम्मिलित हो गये हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म—Vats Colonizers and Developers,

सुनील भदौरिया,
(भागीदार)

(544-बी.)

Address—101, Saya Arcade Padav, Gwalior.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स रामपाल कंस्ट्रक्शन स्थित 858, तिलकेश्वर रोड, उर्दूपुरा, उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 07/33/01/00083/12, दिनांक 3-12-2012 है। यह कि पूर्व में फर्म का कार्यालय 858, तिलकेश्वर रोड, उर्दूपुरा, उज्जैन था। जो कि दिनांक 01-04-2015 से 5, रस्सी गली उर्दूपुरा उज्जैन हो गया है। जिसमें दिनांक 01-04-2015 को भागीदार श्री पंकज भाटी पुत्र श्री राजेन्द्र भाटी, निवासी-तिलकेश्वर रिंग रोड, उज्जैन अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 01-04-2015 से नवीन भागीदार के रूप में (1) श्रीमती प्रीति पति श्री जितेन्द्र भाटी रस्सी गली उर्दूपुरा उज्जैन, (2) श्रीमती रिकू तंवर पति श्री श्रीराम तंवर, निवासी अशोकगंज हाटपिपलिया, देवास, (3) श्री श्रीराम तंवर, श्री बस्तीराम जी तंवर अशोकगंज, हाटपिपलिया देवास, (4) श्री अनिल चौहान श्री सत्यनारायण चौहान, निवासी उर्दूपुरा, उज्जैन फर्म में सम्मिलित हो गये हैं आम जन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म—मैसर्स रामपाल कंस्ट्रक्शन,

जितेन्द्र भाटी,
(भागीदार)

(545-बी.)

5, रस्सीगली, उर्दूपुरा, उज्जैन (म.प्र.).

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि प्रार्थी फर्म मैसर्स माँ कैला देवी कंस्ट्रक्शन कम्पनी एण्ड डब्ल्यूमेन्ट, बी-135, हरिशंकरपुरम, ग्वालियर (म.प्र.) ने 08-06-2015 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्रमांक 3 श्री विकास गोयल पुत्र श्री दामोदर दयाल गोयल, आयु 34 वर्ष, निवासी 210, गोपाल विला अपार्टमेंट, शिंदे की छावनी, लश्कर ग्वालियर तथा पक्षकार क्रमांक 4, श्री पुरुषोत्तम गोयल पुत्र श्री दामोदर दयाल गोयल, आयु 45 वर्ष, निवासी शंकर चौक लश्कर, ग्वालियर जो कि इस फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं।

फर्म से पृथक् हुए पक्षकार भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार हैं..

मैसर्स माँ कैला देवी कंस्ट्रक्शन कम्पनी एण्ड डब्ल्यूमेन्ट

अमर अग्रवाल,
(पार्टनर).

(546-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी फर्म मैसर्स श्रीजी शर्मा कंस्ट्रक्शन कम्पनी, म. क्र. 100, शर्मा मार्केट ग्राम रिठौराकलाँ पोस्ट रिठौराकलाँ, तहसील व जिला मुरैना म. प्र. ने 14-08-2015 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्रमांक 1. श्री नीरज शर्मा पुत्र स्व. श्री कैलाश नारायण शर्मा, आयु 25 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 17, बुजुर्ग रोड शिक्षक कॉलोनी, डबरा, जिला ग्वालियर तथा पक्षकार क्रमांक 3 श्री रामकुमार शर्मा पुत्र श्री हरीनारायण शर्मा, आयु 38 वर्ष, निवासी ग्राम रिठौराकलाँ, पोस्ट रिठौराकलाँ, तहसील व जिला मुरैना फर्म से स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं। फर्म से पृथक् हुए पक्षकार भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में इनका कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताबिक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार हैं।

मैसर्स श्रीजी शर्मा कंस्ट्रक्शन कम्पनी,

जीतेन्द्र मिश्रा,
(पार्टनर).

(547-बी.)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 16 नवम्बर, 2015

सहायक कृषि यंत्री ऑनलाईन लिखित परीक्षा-2013, परीक्षा दिनांक 10 अक्टूबर, 2015 (द्वितीय शनिवार)

संक्षिप्त समाचार विज्ञप्ति

**(साक्षात्कार हेतु मय प्रमाणपत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म एवं आवेदन-पत्र आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि
16 दिसम्बर, 2015 है साक्षात्कार तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी)**

वि. क्र. 16777/30/2015/अनु.-10.—विज्ञापन क्रमांक-02/चयन/2013/06 मई, 2013, ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मई, 2013 मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अन्तर्गत सहायक कृषि यंत्री के 04 पदों हेतु सहायक कृषि यंत्री, ऑनलाईन लिखित परीक्षा-2013, परीक्षा दिनांक 10 अक्टूबर, 2015 (द्वितीय शनिवार) परीक्षा केन्द्र केवल इन्दौर स्थित दो केन्द्रों पर आयोजित की गई थी। उपरोक्त परीक्षा में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। जिन्हें लिखित परीक्षा में प्रवेश-पत्र जारी किये गये, इस परीक्षा में कुल 153 आवेदक उपस्थित हुए एवं लिखित परीक्षा परिणाम में कुल-13 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-10, अनुसूचित जाति-03, हैं। इनमें कुल महिला-04 हैं। निःशक्तजन व भूतपूर्व सैनिक निरंक है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।

2. सहायक कृषि यंत्री ऑनलाईन लिखित परीक्षा-2013, परीक्षा दिनांक 10 अक्टूबर, 2015 (द्वितीय शनिवार) के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों हेतु अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म डाउनलोड करके विधिवत् भरकर अनुप्रमाणन फॉर्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं परीक्षा के लिए भेरे गए आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फॉर्म अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

3. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फॉर्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही आवेदन-पत्र में दी गई अहंता की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी। परीक्षा परिणाम की विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाईट पर दिनांक 16 नवम्बर, 2015 से उपलब्ध है।

वंदना वैद्य,
उप-सचिव,

(20)

इन्दौर, दिनांक 16 नवम्बर, 2015

सहायक कृषि यंत्री ऑनलाईन लिखित परीक्षा-2013, परीक्षा दिनांक 10 अक्टूबर, 2015 (द्वितीय शनिवार)

लिखित परीक्षा परिणाम

(साक्षात्कार हेतु मय प्रमाणपत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक आवेदन-पत्र आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि

16 दिसम्बर, 2015 निर्धारित है साक्षात्कार तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी)

वि. क्र. 16777/30/2015/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक-02/चयन/2013, 06 मई, 2013, अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के तहत् सहायक कृषि यंत्री के कुल-04 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 मई, 2013 निर्धारित थी। उपरोक्त पद हेतु सहायक कृषि यंत्री ऑनलाईन लिखित परीक्षा-2013 परीक्षा दिनांक 10 अक्टूबर, 2015 (द्वितीय शनिवार) परीक्षा केन्द्र केवल इन्दौर स्थित दो केन्द्रों पर आयोजित की गई थी। उपरोक्त लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक-16777/30/2015/अनु.-10, दिनांक 16 नवम्बर, 2015 द्वारा घोषित किया गया है। यह परिणाम आयोग कार्यालय के सूचन-पटल पर देखने के लिए उपलब्ध है तथा “रोजगार और निर्माण” के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसे आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर देखा जा सकता है।

इस परीक्षा में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिन्हें लिखित परीक्षा में प्रवेश-पत्र जारी किये गये। इस परीक्षा में कुल 153 आवेदक उपस्थित हुए; एवं लिखित परीक्षा परिणाम में कुल 13 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-10, अनुसूचित जाति-03, हैं। इनमें कुल महिला-04 हैं। निःशक्त एवं भूतपूर्व सैनिक के पद निरंक हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।

2. सहायक कृति यंत्री ऑनलाईन लिखित परीक्षा-2013, परीक्षा दिनांक 10 अक्टूबर, 2015 (द्वितीय शनिवार) के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों हेतु अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फार्म एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म डाउनलोड करके विधिवत भरकर अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास-प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं परीक्षा के लिये भरे गए आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी।
3. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही आवेदन-पत्र में दी गई अर्हता की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी।
4. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनह किया जावेगा।
5. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

परीक्षा परिणाम में अर्ह आवेदकों की सूची निम्नानुसार है:-

विज्ञापित रिक्तियों की संख्या

क्र.	विवरण	अना.	अजा.	अजजा.	अपिवर्ग	योग
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या	03	01	-	-	04
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियाँ।	01	-	-	-	01

क्र.	विवरण	अना.	अजा.	अजजा.	अपिवर्ग	योग
(अ)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या	10	03	-	-	13
(ब)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध प्रावधिक अर्ह महिला आवेदकों की संख्या	04	-	-	-	04

LIST OF SUCCESSFUL CANDIDATES FOR INTERVIEW

Exam Name: ASSISTANT AGRICULTURE ENGINEER-2013

Exam Date: 10-October-2015

S.No.	Roll No.	Name
1	2	3
1.	AEID0100002	PRIYANKA MESHRAM
2.	AEID0100003	MEENA THAKRE
3.	AEID0100009	REETESH KUMAR PYASI
4.	AEID0100021	GARIMA JHARIYA
5.	AEID0100031	MUNISH PANDEY

1	2	3
6.	AEID0100075	NOKELAL MEHRA
7.	AEID0100088	PUSHPENDRA KUMAR SINGH
8.	AEID0100094	CHURAMANI DEV MISHRA
9.	AEID0200011	DHARMENDRA DEHARIYA
10.	AEID0200027	NAM RATA UPADHYAY
11.	AEID0200040	MANEESH SINGH TOMAR
12.	AEID0200074	PRAMOD KUMAR MEENA
13.	AEID0200078	MANISH KUMAR MISHRA

महत्वपूर्ण टीपः—

- सूची में दर्शाएं गए प्रत्याशियों का साक्षात्कार पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि प्रत्याशी उपरोक्त पदों हेतु विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्याशी साक्षात्कार हेतु अयोग्य माने जाएंगे।
- प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फॉर्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही साक्षात्कार आयोजित होंगे।
- परीक्षा में प्रत्याशियों को प्रवेश से संबंधित शर्तों के अनुसार अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र की प्रमाणिक प्रतियां साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें। लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।
- न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा।
- प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर देखने के लिए उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर चस्पा की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।

दिनेश जैन,
परीक्षा नियंत्रक।

(20-A)

इन्दौर, दिनांक 17 नवम्बर, 2015

सहायक भौमिकीविद एवं खनि अधिकारी ऑनलाईन लिखित परीक्षा-2013, परीक्षा दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 (बुधवार) एवं 15 अक्टूबर, 2015 (गुरुवार)

संक्षिप्त समाचार विज्ञप्ति

(साक्षात्कार हेतु मय प्रमाणपत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म एवं आवेदन-पत्र आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 17 दिसम्बर, 2015 है साक्षात्कार तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी)

वि. क्र. 16808/33/2015/अनु.-10.—विज्ञापन क्रमांक-05/चयन/2013/25 सितम्बर, 2013, अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग के तहत सहायक भौमिकीविद के कुल-10 एवं खनि अधिकारी के कुल-06 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा केवल इन्दौर पर आयोजित की गई थी। उपरोक्त परीक्षा में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। जिन्हें लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी किये गये। इस परीक्षा में सहायक भौमिकीविद पद के कुल-186 तथा खनि अधिकारी के पद के कुल-295 आवेदक उपस्थित हुए थे। सहायक भौमिकीविद पद के लिखित परीक्षा परिणाम में कुल-34, आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-निरंक, अनुसूचित जाति-11, अनुसूचित जनजाति-11 व अन्य पिछड़ा वर्ग-12 हैं। इनमें कुल महिला-10 हैं। निःशक्तजन-02 सम्मिलित हैं व भूतपूर्व सैनिक निरंक है तथा खनि अधिकारी के लिखित परीक्षा परिणाम में कुल-19 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाए गए, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-09, अनुसूचित जाति, निरंक, अनुसूचित जनजाति-06 व अन्य पिछड़ा वर्ग-04 हैं। इनमें कुल महिला-06 हैं। निःशक्तजन व भूतपूर्व सैनिक निरंक है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।

2. सहायक भौमिकीविद एवं खनि अधिकारी ऑनलाईन लिखित परीक्षा-2013, परीक्षा दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 (बुधवार) एवं 15 अक्टूबर 2015 (गुरुवार) के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों हेतु अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म डाउनलोड करके विधिवत् भरकर अनुप्रमाणन फॉर्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास-प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं परीक्षा के लिए भरे गए आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फॉर्म अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

3. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फॉर्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही आवेदन-पत्र में दी गई अर्हता की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी। साक्षात्कार तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी। परीक्षा परिणाम की विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 17 नवम्बर, 2015 से उपलब्ध है।

वंदना वैद्य,
उप-सचिव।

(20-B)

इन्दौर, दिनांक 17 नवम्बर, 2015

सहायक भौमिकीविद एवं खनि अधिकारी ऑनलाईन लिखित परीक्षा-2013, परीक्षा दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 (बुधवार) एवं

15 अक्टूबर, 2015 (गुरुवार)

लिखित परीक्षा परिणाम

(साक्षात्कार हेतु मय प्रमाणपत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, आवेदन-पत्र आयोग में जमा कराने की अंतिम तिथि 17 दिसम्बर, 2015 निर्धारित है साक्षात्कार तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी)

वि. क्र. 16808/33/2015/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक-05/चयन/2013/25 सितम्बर, 2013, अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग के तहत सहायक भौमिकीविद के कुल-10 एवं खनि अधिकारी के कुल-06 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। जिसमें ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर, 2013 निर्धारित थी। उपरोक्त पद हेतु सहायक भौमिकीविद एवं खनि अधिकारी ऑनलाईन लिखित परीक्षा-2013, परीक्षा दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 (बुधवार) एवं 15 अक्टूबर, 2015 (गुरुवार) परीक्षा केन्द्र केवल इन्दौर पर आयोजित की गई थी। उपरोक्त लिखित परीक्षा में साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक-16808/33/2015/अनु.-10, दिनांक 17 नवम्बर, 2015 द्वारा घोषित किया गया है। यह परिणाम आयोग कार्यालय के सूचन-पटल पर देखने के लिए उपलब्ध है तथा “रोजगार और निर्माण” के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसे आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर देखा जा सकता है।

इस परीक्षा में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिन्हें लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी किये गये। इस परीक्षा में सहायक भौमिकीविद पद के कुल-186 तथा खनि अधिकारी के पद के कुल-295 आवेदक उपस्थित हुए थे। सहायक भौतिकविद पद के लिखित परीक्षा परिणाम में कुल-34 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-निरंक, अनुसूचित जाति-11, अनुसूचित जनजाति-11 व अन्य पिछड़ा वर्ग-12 है। इनमें कुल महिला-10 हैं। निःशक्तजन-02 सम्मिलित हैं व भूतपूर्व सैनिक निरंक हैं, तथा खनि अधिकारी के लिखित परीक्षा परिणाम में कुल-19 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाए गए, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित-09, अनुसूचित जाति-निरंक, अनुपूर्चित जनजाति-06 व अन्य पिछड़ा वर्ग-04 है। इनमें कुल महिला-06 हैं। निःशक्तजन व भूतपूर्व सैनिक निरंक हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।

2. सहायक भौमिकीविद एवं खनि अधिकारी ऑनलाईन लिखित परीक्षा-2013, परीक्षा दिनांक 14 अक्टूबर, 2015 (बुधवार) एवं 15 अक्टूबर, 2015 (गुरुवार) के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों हेतु अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म आयोग की वेबसाइट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है। प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास-प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं परीक्षा के लिये भरे गए आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 17 दिसम्बर, 2015 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें। जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

3. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही आवेदन-पत्र में दी गई अंर्हता की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी।
4. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञापित द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा।
5. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

परीक्षा परिणाम में अर्ह आवेदकों की सूची निम्नानुसार है:-

विज्ञापित रिक्तियों की संख्या

सहायक भौमिकीविद (ASSISTANT GEOLOGIST)

क्र.	विवरण	अना.	अजा.	अजजा.	अपिवर्ग	योग
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या	00	03 (बैकलॉग)	03 (बैकलॉग)	04 (बैकलॉग)	10
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियां	00	01	01	01	03
(स)	कुल रिक्तियों में से म.प्र. के मूल निवासी निःशक्तजनों हेतु आरक्षित रिक्तियां	-	-	01 (दृष्टिबाधित)	01 (अस्थिबाधित)	02 अधिकतम 75% अधिकतम 75%
(द)	कुल रिक्तियों में से भूपूर्सैनिक के लिए आरक्षित रिक्तियां	-	-	-	-	-

क्र.	विवरण	अना.	अजा.	अजजा.	अपिवर्ग	योग
(अ)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या	-	11	11	12	34
(ब)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध प्रावधिक अर्ह महिला आवेदकों की संख्या	-	04	03	03	10
(स)	कुल रिक्तियों में से म.प्र. के मूल निवासी निःशक्तजनों हेतु आरक्षित रिक्तियां	-	-	-	02 (अ.बा.)	02
(द)	कुल रिक्तियों में से भूपूर्सैनिक के लिए आरक्षित रिक्तियां	-	-	-	-	-

विज्ञापित रिक्तियों की संख्या

खनि अधिकारी (MINING OFFICER)

क्र.	विवरण	अना.	अजा.	अजजा.	अपिवर्ग	योग
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या	03	00	02	01	06
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियां	01	00	01	00	02
(स)	कुल रिक्तियों में से म.प्र. निःशक्तजनों हेतु आरक्षित रिक्तियां	01 अनारक्षित (श्रवणबाधित)	-	-	-	01 अधिकतम 75%
(द)	कुल रिक्तियों में से भूपूर्सैनिक के लिए आरक्षित रिक्तियां	-	-	-	-	-

क्र.	विवरण	अना.	अजा.	अजजा.	अपिवर्ग	योग
(अ)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या	09	-	06	04	19
(ब)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध प्रावधिक अर्ह महिला आवेदकों की संख्या.	03	-	03	-	06
(स)	कुल रिक्तियों में से म.प्र. के मूल निवासी निःशक्तजनों हेतु आरक्षित रिक्तियां.	-	-	-	-	-
(द)	कुल रिक्तियों में से भूपूर्सेनिक के लिए आरक्षित रिक्तियां.	-	-	-	-	-

PROVISIONAL LIST OF SUCCESSFUL CANDIDATES FOR INTERVIEW**Post : Only for Assistant Geologist****Exam Name: Asst Geologist/Mining officer - 2013****Exam Date: 14, 15-October-2015**

S.No.	Roll No.	Name
1	2	3
1.	AGID0100007	PRIYANKA ONKER
2.	AGID0100046	KAMLESH MOHARE
3.	AGID0100061	GAJENDRA SINGH DAWAR
4.	AGID0100106	VINOD BHURIYA
5.	AGID0100128	TRILOK SINGH PATLE
6.	AGID0100148	SOMENDRA KUMAR NAGRE
7.	AGID0100180	DEEPAK SOLANKI
8.	AGID0100181	AKLESH SOLANKI
9.	AGID0100186	SHAILENDRA SONEKAR
10.	AGID0200003	VINITA CHOURAY
11.	AGID0200014	KAMAL KANT PARASTE
12.	AGID0200028	KISHOR BHONDAYKER
13.	AGID0200049	SOHAN BAGHEL
14.	AGID0200052	YOGESH KUMAR SILAWAT
15.	AGID0200106	SHAMSHAD SHEIKH
16.	AGID0200120	POORNIMA BRAHME
17.	AGID0200163	ISHA VERMA
18.	AGID0200166	RAKESH VERMA
19.	AGID0200171	VANDITA PRAJAPATI
20.	AGID0200175	MISHRILAL DAMOR

PROVISIONAL LIST OF SUCCESSFUL CANDIDATES FOR INTERVIEW**Post: Only for Mining Officer****Exam Name: Asst Geologist/Mining officer - 2013****Exam Date: 14,15-October-2015**

S.No.	Roll No.	Name
1	2	3
1.	MOID0100088	DEEPAK KUMAR SAXENA
2.	MOID0100155	SONAL SING TOMAR
3.	MOID0100178	AMIT KUMAR MISHRA
4.	MOID0200035	PRABHA SHARMA
5.	MOID0200185	SATISH KUMAR MISHRA

PROVISIONAL LIST OF SUCCESSFUL CANDIDATES FOR INTERVIEW**Post: Assistant Geologist / Mining Officer (Both)****Exam Name: Asst Geologist/Mining officer - 2013****Exam Date: 14,15-October-2015**

S.No.	Roll No.	Name
1	2	3
1.	AGID0100073	AAKANSHA PATEL
2.	AGID0100085	MAJOR SINGH JAMRA
3.	AGID0100116	RAJNEESH KUMAR SINGH
4.	AGID0100200	DINESH SINGH DUDWE
5.	AGID0200034	RAVI PATEL
6.	AGID0200038	VIRENDRA KUMAR PATLE
7.	AGID0200053	VIVEKANAND YADAV
8.	AGID0200056	LOKENDRA SINGH THAKUR
9.	AGID0200060	SHAILESH BISEN
10.	AGID0200074	URVASHI GONDGE
11.	AGID0200103	MANOJ BAMNIYA
12.	AGID0200144	MONU PRASAD PATEL
13.	AGID0200155	LALITA RAWAT
14.	AGID0200176	BHUNESHWARI TEMBHARE

महत्वपूर्ण टीपः—

- सूची में दर्शाए गए प्रत्याशियों का साक्षात्कार पूर्णतया प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि प्रत्याशी उपरोक्त पदों हेतु विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्याशी साक्षात्कार हेतु अयोग्य माने जाएंगे।
- प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फॉर्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जांच के उपरान्त ही साक्षात्कार आयोजित होंगे।

3. परीक्षा में प्रत्याशियों को प्रवेश से संबंधित शर्तों के अनुसार अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र की प्रमाणिक प्रतियां साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें। लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।
5. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा।
6. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर देखने के लिए उपलब्ध है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर चर्चा की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी।

दिनेश जैन,
परीक्षा नियंत्रक,

(20-C)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, बड़वानी

फॉर्म नम्बर-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-5 (1) के अन्तर्गत]

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, बड़वानी के समक्ष।

‘आवेदक श्री भीका पिता केश्याजी जाति सिर्वी, निवासी सेगावां, बड़वानी द्वारा उपस्थित होकर “श्री आई माताजी बडेर सिर्वी सामाजिक न्यास सेगांव, बड़वानी” को मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में 31 दिसंबर, 2015 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता : श्री आई माताजी बडेर सिर्वी सामाजिक न्यास सेगांव, बड़वानी
श्री आई माताजी जोगमाया मंदिर, सिर्वी समाज पंच ग्राम सेगांव, बड़वानी।

चल सम्पत्ति : निरंक.

अचल सम्पत्ति : 1. ग्राम बड़गाँव-सेगावां प. ह. नं. 04 पर सर्वे नम्बर 17, 18/1
रकबा 3.141 हेक्टर में से 7.00 एकड़ भूमि।

2. ग्राम सेगावां स्थित श्री भीका पिता केश्याजी जाति सिर्वी, निवासी सेगावां बड़वानी का निवासिक मकान जिसकी कुल नप्ती पूर्व-पश्चिम 80 फीट लम्बा, उत्तर-दक्षिण 15 फीट चौड़ा में से पैकि 15 बाय 80 फीट का पश्चिम तरफ वाला कच्चा मकान।

दीपक आर्य,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार,

(22)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास कुक्षी डेही क्षेत्र

प्र.क्र.-01/बी-113(1)/2014-15.

फार्म-4

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश न्यास अधिनियम, 1951 (तीसवा) की धारा-5 (2) और नियम-5(1) मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1953]

त्री रणजीत सेवा संस्थान/समिति, पाडल्या घाटी बाग, तहसील कुक्षी, जिला धार मध्यप्रदेश एवं अच्य सदस्य ने मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा-4 के अंतर्गत अनुसूचि में उल्लेखित सार्वजनिक न्यास पंजीयन के सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत किया है। जन-साधारण को सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 को विचार किया जावेगा।

2. अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या खुशाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रति में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिगत या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

1. न्यास का नाम : श्री रणजीत सेवा संस्थान/समिति, पाडल्या घाटी बाग,
तहसील कुक्षी, जिला धार

2. अचल सम्पत्ति : निरंक

डी. एस. ठाकरे,
अनुविभागीय अधिकार (राजस्व).

(23)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास बण्डा, जिला सागर

प्र. क्र. बी/113(1)वर्ष 2015-16

बण्डा, दिनांक 26 दिसम्बर, 2015

मौजा-जेजटखेड़ा/निवारी, तह. बण्डा

जगन्नाथ सेन पिता स्व. भगवानदास सेन
निवासी ग्राम निवारी, तह. बण्डा, जिला सागर.

.....आवेदक

बनाम
मध्यप्रदेश शासन

.....अनावेदक

इस्तहार

क्र.क/8061/रीडर-1/2015.—सर्व-साधारण के इस्तहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक जगन्नाथ पिता स्व. भगवानदास सेन, निवासी ग्राम निवारी, तह. बण्डा, जिला सागर मध्यप्रदेश के द्वारा मौजा ग्राम निवारी प. ह. नं. 59 तहसील बण्डा में स्थित मंदिर श्रीदेव महवीर जी मुह. भगवानदास पिता रामलाल प्रबंधक कलेक्टर सागर साकिन देह के नाम ख. नं. 55, 56, 56/211, 88, 89/1, 90, 91 कुल-07 मेडे रकवा क्रमशः 0.11, 0.17, 0.03, 0.05, 1.63, 0.16, 4.09 है। कुल रकवा-6.24 है। जो मंदिर श्रीदेव महवीर जी मुह. भगवानदास पिता रामलाल प्रबंधक कलेक्टर सागर सा. देह भूमि स्वामी दर्ज है। आवेदक द्वारा मुहत्मकार भगवानदास पिता रामलाल, निवासी निवारी तहसील बण्डा, जिला सागर की दिनांक 16 अगस्त, 2013 को मृत्यु हो जाने से आवेदक ने स्वयं को मुहत्मकार दर्ज किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई अपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति समक्ष में पेशी दिनांक 19 जनवरी, 2016 को स्वयं अथवा अपने वैद्य प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। वाद म्याद गुजरने पर आपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भी विचार नहीं किया जावेगा।

इस्तहार मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा से जारी।

जारी दिनांक 16 दिसम्बर, 2015.

पेशी दिनांक 19 जनवरी, 2016.

(24)

बी. बी. पाण्डेय,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक।

न्यायालय रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, छतरपुर

प्र. क्र.01/बी/113/2010-11

छतरपुर, दिनांक 14 दिसम्बर, 2015

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 (1951 का 30) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 नियम-5(1) के अंतर्गत]

लोक न्यासों के पंजीयक (रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट अनुविभाग छतरपुर), जिला छतरपुर मध्यप्रदेश के समक्ष यह कि :-

क्र.	नाम	पता	पद
1.	श्री हीरा सिंह तनय स्व. श्री मंगल सिंह ठाकुर	ग्राम पड़रिया, जिला छतरपुर म.प्र.	अध्यक्ष
2.	श्री दयाराम पटेल तनय चैतू पटेल	ग्राम पड़रिया, जिला छतरपुर म.प्र.	उपाध्यक्ष
3.	श्री सुनील तनय धर्मेन्द्र कुमार तिवारी	ग्राम पड़रिया, जिला छतरपुर म.प्र.	सचिव
4.	श्री सहदेव शुक्ला तनय श्री मुन्नीलाल शुक्ला	ग्राम पड़रिया, जिला छतरपुर म.प्र.	सदस्य
5.	श्री अवधेश पाठक तनय स्व. श्री लखनलाल पाठक	ग्राम पड़रिया, जिला छतरपुर म.प्र.	सदस्य
6.	श्री गोविन्द तिवारी तनय श्री मोतीलाल तिवारी	ग्राम पड़रिया, जिला छतरपुर म.प्र.	सदस्य
7.	श्री संतोष तनय श्री भैयन तिवारी	ग्राम पड़रिया, जिला छतरपुर म.प्र.	सदस्य
8.	श्री देशराज तनय हरप्रसाद पटेल	ग्राम पड़रिया, जिला छतरपुर म.प्र.	सदस्य
9.	श्री परम पटेल तनय देवी पटेल	ग्राम पड़रिया, जिला छतरपुर म.प्र.	सदस्य
10.	श्री लखल तनय स्व. श्री चूरामन यादव	ग्राम पड़रिया, जिला छतरपुर म.प्र.	सदस्य
11.	श्री लखल साहू तनय बलदुला साहू	ग्राम पड़रिया, जिला छतरपुर म.प्र.	सदस्य
12.	श्री हरी प्रजापति तनय बंदी प्रजापति	ग्राम पड़रिया, जिला छतरपुर म.प्र.	सदस्य
13.	श्री ओमकार शुक्ला तनय हरिचरण शुक्ला	ग्राम पड़रिया, जिला छतरपुर म.प्र.	सदस्य
14.	श्री भवानीदीन अहिरवार तनय श्री रंजीता अहिरवार	ग्राम पड़रिया, जिला छतरपुर म.प्र.	सदस्य
15.	श्री लक्ष्मी सेन तनय स्व. श्री हरीदास सेन	ग्राम पड़रिया, जिला छतरपुर म.प्र.	सदस्य
16.	श्री कडोरी तनय बारेलाल कुशवाहा	ग्राम पड़रिया, जिला छतरपुर म.प्र.	सदस्य
17.	श्री मलोरा कुशवाहा तनय श्री हज्जू कुशवाहा	ग्राम पड़रिया, जिला छतरपुर म.प्र.	सदस्य

1. चूंकि आवेदकों/न्यासियों की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा श्री श्री 1008 श्री बड़े हनुमान जी मंदिर एवं धर्मशाला ट्रस्ट पड़रिया, तहसील व जिला छतरपुर मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट के लोक न्यास पंजीयन हेतु ट्रस्ट एक्ट 1951 के अधीन आवेदन-पत्र दिया गया है। एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र पर दिनांक 20 जनवरी, 2016 को मेरे न्यायालय में विचार पर लिया जावेगा। इस संबंध में जिस किसी को आपत्ति हो वह आपत्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रकरण में नियत दिनांक के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस में स्वयं अथवा अधिकृत अभिभाषक के माध्यम से अपनी आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम और पता : श्री श्री 1008 श्री बड़े हनुमान जी मंदिर एवं धर्मशाला, पब्लिक ट्रस्ट पड़रिया, तहसील व जिला छतरपुर म.प्र.

2. सम्पत्ति का विवरण

चल सम्पत्ति :-

- श्री श्री 1008 श्री हनुमान जी मंदिर की मूर्ति पत्थर की।
- श्री श्री 1008 श्री शिव परिवार सहित पत्थर की मूर्ति एक-एक नग शिवलिंग, पार्वती जी, गणेश जी, नन्दी बाबा, कार्तिकेय जी।

3. तखत एक नग.
4. कढ़ई दो नग लोहे की.
5. जंगल एक नग पीतल की.
6. टंकी एक पीतल की, बाल्टी दो लोहे की, परात 2 पीतल की पीतल की आरती,
घण्डी पीतल के चार घण्टा, आचमनी तांबा की, लोटा तांबा के दो, एक छोटी परांत तांबा की.

अंचल सम्पत्ति :-

1. चार पक्के कमरे और कमरे से लगकर दालान.
2. भूमि खसरा नम्बर-320, 321, 322, 323, 324, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 371, 372 किता 13 रकवा
क्रमशः 0.174, 0.089, 0.129, 0.089, 0.089, 0.077, 0.077, 0.081, 0.071, 0.077, 0.077, 0.049, 0.016
एकत्र 1.101 हे. जो श्री श्री 1008 श्री मंदिर बड़े हनुमान जी तालाब के हिस्सा 2/3, प्रबंधक कलेक्टर महोदय छतरपुर.

डॉ. पी. द्विवेदी,

रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(25)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राज. परि. एम. पी. नगर वृत्त भोपाल

प्र.क्र.-06/बी-113/2015-16.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट नजूल वृत्त एम. पी. नगर वृत्त भोपाल.

जैसाकि श्री यशवन्त देव पुत्र स्व. श्री गोविन्द देव, निवासी-ए-101, आदर्श नगर, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल मध्यप्रदेश “अजय चेरेटेबल ट्रस्ट” द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक अधिनियम, 1951 की धारा-04 के अंतर्गत आवेदन-पत्र सूची में दर्शाए सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 05 फरवरी, 2016 को विचार में लिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के “एक माह” के भीतर प्रस्तुत करें। अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। उपयुक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता : “अजय चेरेटेबल ट्रस्ट” ए-101, आदर्श नगर, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल मध्यप्रदेश।

चल सम्पत्ति : 10,000/- (मात्र दस हजार एक सौ रुपये)

अंचल सम्पत्ति : निरंक

संदीप केरकेटा,

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार नजूल।

(38)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, पश्चिम (सा.), वनमण्डल, मण्डला

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :- उप वनमण्डलाधिकारी महाराजपुर (सा.) का पत्र क्रमांक/752, दिनांक 13 जून, 2015 से अवगत कराया गया है। कि वन परिक्षेत्र बम्हनी अंतर्गत परिक्षेत्र सहायक भटियाटोला श्री उदित नारायण मिश्रा, वनपाल द्वारा बीट भटियाटोला का प्रभार श्री रामसिंह बेनल वनरक्षक को देते समय बीट हेमर नहीं सौंपने पर वनपाल द्वारा बतलाया गया कि, वन गस्त के समय दिनांक 29 मई, 2014 को कहीं गुम हो गया है। इसलिये प्रभार में बीट हेमर नहीं सौंपा जा सका। वनपाल द्वारा तलाश करने के सभी प्रयासों के पश्चात् भी हेमर नहीं मिला, हेमर गुम होने की सूचना दिनांक 12 जून, 2014 को थाना बम्हनी बंजर में की जाकर पुलिस थाना बम्हनी द्वारा दर्ज प्रकरण (FIR) क्रमांक 671/15, दिनांक 27 अक्टूबर, 2015 को दर्ज की गई।

बनपाल द्वारा हेमर बन गस्त के दौरान दिनांक 29 मई, 2014 को गुम हो जाने की सूचना त्वरित अपने वरिष्ठ को ना देना; पुलिस थाने में समय से रिपोर्ट ना करना, अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन ना करना, शासकीय सामग्री की सुरक्षा में असावधानी बरतना आदि लापरवाही की गई है। जिस सम्बन्ध में इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./1719, मण्डला, दिनांक 17 जुलाई, 2015 के तहत श्री उदित नारायण मिश्र, बनपाल परिषेत्र सहायक भटियाटोला को कारण बताओं सूचना-पत्र जारी किया गया। बनपाल ने बन परिषेत्र बम्हनी के माध्यम से पत्र क्रमांक/594, दिनांक 27 जुलाई, 2015 को कारण बताओं सूचना-पत्र का उत्तर इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया।



उपरोक्त प्राप्त प्रतिउत्तर के अनुसार उक्त हेमर ना मिलने की स्थिति में, मैं, सुश्री संध्या (भा. व्र. से.) बनमण्डलाधिकारी, पश्चिम (सा.) बनमण्डल मण्डल यह आदेश देती हूँ कि:-

आदेश

आदेश क्रमांक/2015/378.

मण्डला, दिनांक 28 नवम्बर, 2015

बन वित्तीय नियम, की धारा-124 प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए हाँसिये पर अंकित हेमर को अपलेखित करते हुये हेमर का मूल्य रुपये 500/- बन परिषेत्र सहायक भटियाटोला श्री उदित नारायण मिश्र, बनपाल से वसूली की जावे साथ ही हेमर की सुरक्षा में बरती गई लापरवाही के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम-10 चार के तहत दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाती है।



तथा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त हेमर मिले तो उस हेमर को निकटतम थाने में या किसी बन कार्यालय में जमा करें। इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से हेमर रखने या प्रयोग में लाते हुए पाया गया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय बन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्ड का भोगी होगा।

संध्या,

बनमण्डलाधिकारी .

(26)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

संस्था अध्यक्ष के पत्र दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था के समस्त प्रकार के लेन-देन एवं अन्य गतिविधियां वित्तीय वर्ष 2014-15 में विधिवत समाप्त हो चुकी है एवं संस्था को बंद करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सिद्धि विनायक क्रेडिट को-ऑप. सोसायटी लिमिटेड, खरगोन, पंजीयन क्रमांक/1769, दिनांक 10 मार्च, 2014 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री नवीन मुहावरे, सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(27)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं धारा-70 (1) के अन्तर्गत]

संस्था अध्यक्ष के पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था दस वर्षों से बंद होकर अकार्यशील है। संस्था का कोई लेन-देन शेष नहीं है एवं संस्था को बंद करने हेतु आवेदन दिया है।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के

तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नानक साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन, पंजीयन क्रमांक/1757, दिनांक 10 मार्च, 2014 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री नवीन मुहावरे, सहकारी निरीक्षक को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(27-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

रानी दुर्गावती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बहादरपुरा, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन का पंजीयन क्रमांक/डी.आर. /1358, दिनांक 03 जनवरी, 2004 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2014/1317, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री बी.एल.सोलंकी, सहकारी विस्तार अधिकारी, द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2015 को सदस्यों की विशेष आमसभा आयोजित की गई। जिसमें आगामी दो वर्षों की कार्ययोजना बनाकर संस्था को पुनर्जीवित हेतु निर्णय लिया गया।

अतः मैं, बी.एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5/199/पन्द्रह/1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा अधिनियम, 69 (4) के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदस्यों के व्यापक हित में रानी दुर्गावती महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बहादरपुरा, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन का पंजीयन क्रमांक/डी.आर. /1358, दिनांक 03 जनवरी, 2004 निम्न शर्तों के साथ पुनर्जीवित किया जाता है।—

1. समिति की प्रस्तुत कार्ययोजना अनुसार अपना कार्य तीन माह में व्यवसाय समिति के उपविधि के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगी एवं प्रगति से कार्यालय को अवगत कराएगी।
2. समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दो माह के भीतर अंकेक्षण हेतु संस्था के वित्तीय पत्रक एवं अन्य अभिलेख कार्यालय को अनिवार्यतः प्रस्तुत करेगी।
3. समिति की तदूथ प्रबंधकारिणी समिति तीन माह के भीतर निर्वाचन कराये जाने हेतु विधिवत प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।
4. नामांकित अवधि में संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार संचालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
5. समिति की पुरानी लाभ-हानि एवं समस्त लेनदारी-देनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी समिति की होगी।
6. समिति की न्यामांकित प्रबंधकारिणी निर्वाचन होने तक श्री बी.एल.सोलंकी, सहकारी विस्तार अधिकारी के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेगी एवं प्रत्येक गतिविधियों से अवगत करायेगी।

संस्था की विशेष आम सभा में कार्य संचालन हेतु प्रस्तावित निर्मांकित कार्यकारिणी समिति तीन माह हेतु नामांकित की जाती है, जो उपर्युक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।

नामांकित कार्यकारिणी.—

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. श्रीमती शांता बाई बियानसिंह | अध्यक्ष |
| 2. श्रीमती द्वारकी बाई ज्ञानसिंह | उपाध्यक्ष |
| 3. श्रीमती रीना बाई ध्यानसिंह | संचालक |
| 4. श्रीमती सायाबाई प्रकाश | संचालक |
| 5. श्रीमती कुली बाई कैलाश | संचालक |
| 6. श्रीमती राह बाई दिनेश | संचालक |
| 7. श्रीमती रेखा बाई दिनेश | संचालक |
| 8. श्रीमती तस्या बाई लालसिंग | संचालक |
| 9. श्रीमती जनादी बाई मांगीलाल | संचालक |
| 10. श्रीमती दुना बाई जायसिंग | संचालक |
| 11. श्रीमती अमनी बाई जाडया | संचालक |

यह आदेश आज दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

बी.एस.अलावा,

उप-पंजीयक,

(27-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ

माँ शरदा महिला बहुउद्देशीय मर्या., बामनिया, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ पंजीयन क्रमांक 1021, दिनांक 17 मई, 2007 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/213-3, दिनांक 18 मार्च, 2014 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापन से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत हुआ है, कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है।

अतः मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ। उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 सितम्बर, 2015 से निर्गमित निकाय के रूप से नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

बबलू सातनकर,
उप-पंजीयक।

(28)

कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 03 अक्टूबर, 2015

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2015/1711.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आनंदपुर डुगरिया, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1196, दिनांक 31 मार्च, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69-(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 1534, दिनांक 04 सितम्बर, 2015 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 04 सितम्बर, 2015 तक का समय दिया गया था। समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 29 सितम्बर, 2015 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्टित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. पी. छिवेदी पर्य., दुग्ध संघ इन्डौर, सहकारी निरीक्षक/उप-अंकेक्षक देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री व्ही. पी. छिवेदी, पर्यवेक्षक, सहकारी निरीक्षक/उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुद्दे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

(29)

देवास, दिनांक 03 अक्टूबर, 2015

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69, 70, 71 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2015/1712.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दयालनगर, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1188, दिनांक 03 सितम्बर, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 1535, दिनांक 04 सितम्बर, 2015 को प्रेषित किया गया था तथा उनका प्रतिउत्तर देने हेतु दिनांक 04 सितम्बर, 2015 तक का समय दिया गया था। समयावधि के समाप्त हो जाने के उपरान्त भी आज दिनांक 29 सितम्बर, 2015 तक संस्था की ओर से कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही स्वयं उपस्थित हुए हैं तथा मेरे मत से संस्था निष्क्रिय है एवं उन्हें परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझमें वेष्टित हैं, का उपयोग करते हुए उक्त सहकारी संस्था को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ।

तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. पी. द्विवेदी, पर्य., दुग्ध संघ, इन्दौर सहकारी निरीक्षक/उप-अंकेक्षक देवास को परिसमापक नियुक्त करता हूँ। आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

यह भी आदेश किया जाता है कि श्री व्ही. पी. द्विवेदी, पर्यवेक्षक, सहकारी निरीक्षक/उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापक की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक।

(29-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2001/1881 विदिशा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2001 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नटेरन, तह. नटेरन, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./293, दिनांक 31 अक्टूबर, 1986 को परिसमापन में लाया जाकर श्री एम. एस. भदौरिया, सहकारी निरक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नटेरन, तहसील नटेरन, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नटेरन, तह. नटेरन, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./293, दिनांक 31 अक्टूबर, 1986 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(30)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1998/595, विदिशा, दिनांक 21 मई, 1998 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, परासीगूजर, तहसील एवं जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./495, दिनांक 30 जून, 1993 को परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. के. मोहता, सहकारी निरक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, परासीगूजर, तहसील एवं जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, परासीगूजर, तहसील एवं जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./495, दिनांक 30 जून, 1993 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(30-A)

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1998/988, विदिशा, दिनांक 01 अगस्त, 1998 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुल्हार, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./391, दिनांक 01 अक्टूबर, 1991 को परिसमापन में लाया जाकर श्री पी. के. मोहता, सहकारी निरक्षक, कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा को संस्था का समापक नियुक्त किया गया था।

समापक द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुल्हार, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर संस्था का अन्तिम प्रतिवेदन संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैं, समापक के द्वारा की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुल्हार, तहसील बासौदा, जिला विदिशा जिसका पंजीयन क्रमांक/ए. आर./व्ही. डी. एस./391, दिनांक 01 अक्टूबर, 1991 का पंजीयन निरस्त करते हुए उसका निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(30-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

श्री पी. एस. रघुवंशी, प्रशासक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी बासौदा ने अपने पत्र दिनांक 01 सितम्बर, 2015 में उल्लेख किया है कि रायकवार मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बेरेठ, तहसील बासौदा, जिला विदिशा के अध्यक्ष श्री महेश रैकवार द्वारा आज दिनांक तक संस्था का चार्ज नहीं दिया गया है, मेरे द्वारा चार्ज लेने के सम्बन्ध में पत्र दिया गया वह लेने से इंकार कर दिया गया तथा संस्था का बेरेठ में कोई कार्यालय नहीं है। प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की है एवं अवगत कराया है कि संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है।

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1094, विदिशा, दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 जारी किया गया कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, रायकवार मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बेरेठ, तहसील बासौदा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक एडी. आर./व्ही. डी. एस./739, दिनांक 16 जनवरी, 2009 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बासौदा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 को जारी करता हूँ।

(30-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1217.—सत्यमेव बहुउद्देशीय साख सहकारिता मर्या., विदिशा के अध्यक्ष ने अपने पत्र दिनांक 03 सितम्बर, 2015 में उल्लेख किया है कि सहकारिता ने पंजीयन दिनांक से आज तक कोई कार्य नहीं किया है तथा सहकारिता आगे भी कोई कार्य नहीं करना चाहती है। अध्यक्ष द्वारा सहकारिता को परिसमापन में लाये जाने बावत् निवेदन किया गया है।

अध्यक्ष के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि सहकारिता निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त सहकारिता में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण सहकारिता को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1017, विदिशा, दिनांक 14 सितम्बर, 2015 जारी किया गया कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक,

सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, सत्यमेव बहुउद्देशीय साख सहकारिता मर्या., विदिशा पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./16, दिनांक 10 जून, 2002 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 को जारी करता हूँ।

(30-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

रोगी कल्याण एवं उत्थान बहुउद्देशीय साख सहकारिता मर्या., विदिशा के अध्यक्ष ने अपने पत्र दिनांक 03 सितम्बर, 2015 में उल्लेख किया है कि सहकारिता ने पंजीयन दिनांक से आज तक कोई कार्य नहीं किया है तथा सहकारिता आगे भी कोई कार्य नहीं करना चाहती है। अध्यक्ष द्वारा सहकारिता को परिसमापन में लाये जाने बावजूद निवेदन किया गया है।

अध्यक्ष के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि सहकारिता निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त सहकारिता में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण सहकारिता को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1016, विदिशा, दिनांक 14 सितम्बर, 2015 जारी किया गया कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, रोगी कल्याण एवं उत्थान बहुउद्देशीय साख सहकारिता मर्या., विदिशा पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./19, दिनांक 25 जून, 2002 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 को जारी करता हूँ।

(30-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

श्री राम सिंह, प्रशासक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 2015 में लेख किया है कि अध्यक्ष सफल बीज उत्पादक एवं कृषि विकास सहकारी संस्था मर्या., औलिंजा, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा द्वारा प्रस्तुत पत्र में 3-4 साल से संस्था के अकार्यशील होने तथा संस्था को परिसमापन में करने का उल्लेख किया है।

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (एक) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1098, विदिशा, दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 जारी किया गया कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, सफल बीज उत्पादक एवं कृषि विकास सहकारी संस्था मर्या., औलिंजा, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./987, दिनांक 16 जनवरी, 2015 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड ग्यारसपुर को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 को जारी करता हूँ।

(30-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

श्री आर. के. सोनी, प्रशासक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी ग्यारसपुर ने अपने पत्र दिनांक 08 सितम्बर, 2015 में उल्लेख किया है।

सिद्धेश्वरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अंडियाकला, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा का संस्था स्थल/पते पर कोई कार्यालय स्थापित नहीं है। संस्था की वार्षिक आमसभा एवं मासिक बैठकें नहीं की गई हैं। संस्था के पदाधिकारी/सदस्य कार्य संचालन में कोई सहयोग नहीं करना चाहते न ही संस्था को क्रियाशील रखना चाहते हैं। प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की है।

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (ए/क) एवं (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1095, विदिशा, दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 जारी किया गया कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, सिद्धेश्वरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अंडियाकला, तहसील ग्यारसपुर, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी. आर./बी. डी. एस./614, दिनांक 30 मार्च, 2002 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड ग्यारसपुर को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 को जारी करता हूँ।

(30-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

श्री आर. एस. राज, प्रशासक एवं सहकारी निरीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 09 सितम्बर, 2015 में उल्लेख किया है कि प्रियंका सिलाई कढाई एवं महिला उत्थान सहकारी समिति मर्या., विदिशा अकार्यशील संस्था है तथा आगे भी संचालित हो पाना संभव नहीं है। अतः संस्था को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही की जाना उचित होगी।

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (ए/क) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1099, विदिशा, दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 जारी किया गया कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, प्रियंका सिलाई-कढाई एवं महिला उत्थान सहकारी समिति मर्या., विदिशा पंजीयन क्रमांक डी. आर. एच./बी. पी.एल./619, दिनांक 02 जनवरी, 1997 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड विदिशा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 को जारी करता हूँ।

(30-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

श्री पी. एस. रघुवंशी, प्रशासक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी बासौदा ने अपने पत्र दिनांक 09 सितम्बर, 2015 में उल्लेख किया है कि गृह निर्माण वस्तु उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा के अध्यक्ष एवं संस्था के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। संस्था कार्यालय का पता प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में संस्था का प्रशासक का चार्ज भी आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में संस्था का निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है। प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की है।

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1096, विदिशा, दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 जारी किया गया कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, गृह निर्माण वस्तु उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बासौदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./121, दिनांक 13 अप्रैल, 1964 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बासौदा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 को जारी करता हूँ.

(30-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

श्री डी. के. दुबे, प्रशासक एवं सहकारी निरीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 2015 में उल्लेख किया है। मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., घटेरा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा की माह सितम्बर, 2015 में आमसभा आयोजित की जाना है तथा संस्था का निर्वाचन भी कराया जाना है। संस्था के प्रभार ग्रहण के समय नगदी सिलक शेष नहीं थी एवं संस्था के सेविंग खाते में मात्र रुपये 872.00 ही शेष है। पर्याप्त धनराशि न होने के कारण आगामी कार्यवाही करने के लिये सदस्यों से अमानतें जमा करने को कहा गया, परन्तु किसी सदस्य द्वारा अमानत राशि जमा नहीं कराई गई। फलस्वरूप आगं की कार्यवाही प्रभावित हो रही है तथा आमसभा एवं निर्वाचन कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकी है।

प्रशासक के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि संस्था निष्क्रिय है। इस प्रकार उपरोक्त संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-2 (ए/क) एवं (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1097, विदिशा, दिनांक 08 अक्टूबर, 2015 जारी किया गया कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., घटेरा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक डी. आर./व्ही. डी. एस./204, दिनांक 26 नवम्बर, 1971 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बासौदा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश मैं अपने हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 को जारी करता हूँ।

भूपेन्द्र प्रताप सिंह
उप-पंजीयक।

(30-J)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 30 सितम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1529.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2002/1597, धार, दिनांक 24 अगस्त, 2002 के द्वारा आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., फूलगांवडी, तहसील सरदारपुर, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 985, दिनांक 26 दिसम्बर, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाइ जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. डी. माधवाचार्य, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करते हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-05-01-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., फूलगांवडी, तहसील सरदारपुर, जिला धार का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(31)

धारा, दिनांक 30 सितम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1530.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2014/1289, धारा, दिनांक 25 अगस्त, 2014 के द्वारा दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जामला, जिला धार (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1147, दिनांक 28 फरवरी, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाई जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. एस. कनेश, सहकारी निरीक्षक, धार को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के नियुक्त परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/ एफ-05-01-99-पन्ड्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जामला, जिला धार का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 30 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

ओ. पी. गुप्ता,
उप-रजिस्ट्रार.

(31-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर

शाजापुर, दिनांक 16 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा प्रशासक दीनदयाल सहकारी मुद्रणालय एवं बाईन्डर्स,

संस्था मर्या., शाजापुर. तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 902, दिनांक 16 दिसम्बर, 2004, जिला शाजापुर।

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र।

क्र./परि./2015/1325.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें :-

1. संस्था गत तीन वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ-5-1-1999-पन्ड्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(32)

शाजापुर, दिनांक 09 दिसम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा प्रशासक सरदार पटेल मेडिकल सहकारी संस्था मर्या., शुजालपुर,
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 1067, दिनांक 20 जून, 2012, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2015/1356.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3). के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें :-

1. संस्था गत वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयक निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 11 जनवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यद्विं उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(32-A)

शाजापुर, दिनांक 09 दिसम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति;

द्वारा प्रशासक माँ भगवती बीज सहकारी संस्था मर्या., बोलाई,
तहसील अकोदिया, जिला शाजापुर.

पंजीयन क्रमांक 1134, दिनांक 24 नवम्बर, 2014, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2015/1357.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें :-

1. संस्था गत वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 11 जनवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(32-B)

शाजापुर, दिनांक 09 दिसम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा प्रशासक मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., जहानपुर,
तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 988, दिनांक 04 फरवरी, 2009, जिला शाजापुर.

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र।

क्र./परि./2015/1358.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें :

1. संस्था गत वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपचारियों में उल्लेखित उद्घेश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 11 जनवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(32-C)

शाजापुर, दिनांक 09 दिसम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,
द्वारा प्रशासक अंसार बुनकर सहकारी संस्था मर्या., जामनेर,
तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर.
पंजीयन क्रमांक 143, दिनांक 08 जनवरी, 1980, जिला शाजापुर।

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र।

क्र./परि./2015/1359.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें :-

1. संस्था गत वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 11 जनवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(32-D)

शाजापुर, दिनांक 09 दिसम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंध कार्यकारणी समिति,

द्वारा प्रशासक सूरज महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या.,

मंझानिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर।

पंजीयन क्रमांक 687, दिनांक 11 मार्च, 1998, जिला शाजापुर।

विषय:- मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र।

क्र./परि./2015/1360.—विषयान्तर्गत निम्न बिन्दुओं के आधार पर क्यों न आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जावें :-

1. संस्था गत वर्ष से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है।
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही।
3. संस्था प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने एवं पंजीयन निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन किया गया है।

अतः मैं, मीना डाबर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1960 की धारा-69 (3) एवं सहकारिता विभाग की ज्ञापन क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करती हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 11 जनवरी, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधान कारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया तो यह माना जाकर कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार है। आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

(32-E)

मीना डाबर,
उप-पंजीयक।

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सतना

दिनांक 15 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेश क्रमांक 2015/1426, सतना, दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापन में लाई गई संस्था का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. व दिनांक
1.	शिवाजी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्या., सतना	212/07-09-1995	1085/13-08-2010

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस में) मय साक्ष प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में दावेदारण (लेनदार-देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई रिकॉर्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आर. के. श्रीवास्तव,

(33)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सतना

दिनांक 14 दिसम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./15/Q.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेशानुसार निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है। परिसमापन में लाई गई संस्था का विवरण निम्नानुसार है :—

क्रमांक	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्र. व दिनांक
1.	दुध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धतुआ	732/22-02-2012	1205/29-10-2015
2.	दुध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जोधपुर	760/19-06-2012	1206/29-10-2015
3.	दुध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गौरा	659/23-12-2010	1207/29-10-2015
4.	दुध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धौरहरा	601/06-10-2010	1208/29-10-2015
5.	दुध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भिन्ना	411/11-05-2004	1209/29-10-2015
6.	दुध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मढ़ा	487/16-05-2004	1210/29-10-2015

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी के नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर (60 दिवस) में मय

साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हों तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार-देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने यदि कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई रिकॉर्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

के. के. गुप्ता,

सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक।

(34)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 12 अक्टूबर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1732.— इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 350, दिनांक 03 मार्च, 2015 के द्वारा दीप को। आप. प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 866, दिनांक 19 अगस्त, 1998 हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्रीमती मंजूलता अग्रवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था को सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया हैं। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित हैं।

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-72 (2) के अंतर्गत दीप को। आप. प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., देवास का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक।

(35)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल

बैतूल, दिनांक 30 अक्टूबर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/1351.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2011/1161, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 द्वारा तपश्री प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., चिचोली, पंजीयन क्रमांक 1507 दिनांक 18 मई, 2005 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./14/1048, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के द्वारा श्री सी. एल. डोंगेर, सहकारिता विस्तार अधिकारी, चिचोली को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के परिसमापक द्वारा संस्था की दिनांक 07 सितम्बर, 2015 को आम-सभा ली गई। जिसमें सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जिवित करने हेतु निर्णय पारित किया गया है। परिसमापक द्वारा भी संस्था को पुनर्जिवित करने की अनुशंसा की गई। तदनुसार मेरी राय में संस्था द्वारा पारित निर्णय एवं परिसमापक द्वारा की गई अनुशंसा को दृष्टीगत रखते हुए तपश्री प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., चिचोली का अस्तित्व में रहना आवश्यक है।

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2011/1161, दिनांक 28 नवम्बर, 2011 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आगामी आदेश पर्यन्त अथवा संस्था का निर्वाचन जो भी पहले हो संस्था का कामकाज चलाने हेतु 6 माह के लिये संस्था तपश्री प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., चिचोली का निम्नानुसार प्रबंधकारिणी का गठन करता :-

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. श्रीमती प्रेमलता/श्रीरामवर्मा | अध्यक्ष |
| 2. श्री संजय/हंसराज | उपाध्यक्ष |

3.	श्री सदन/सुन्दरलाल	संचालक
4.	श्री सुभाष/छोटेलाल	संचालक
5.	श्री रामदयाल/मिश्रीलाल	संचालक
6.	श्रीमती नलिनी/वंदन	संचालक
7.	श्री टुकडू/रामलाल	संचालक
8.	श्री दीपक/जुगरू	संचालक
9.	श्री रमेश/सुधाकर	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 30 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

के. व्ही. सोरते,
उप-पंजीयक।

(36)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, धार, जिला धार

धार, दिनांक 02 नवम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत]

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं धार, जिला धार के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया हैः—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	जय अम्बे बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाधवाड़ा वि. ख. तिरला, जिला धार।	DR/धार/1236/12-12-2007	2015/374/24-3-2015

उक्त सहकारी संस्थाओं का पूर्व परिसमापक/अध्यक्ष/सचिव से मुझे किसी भी प्रकार का रिकार्ड दस्तावेज आदि का चार्ज प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1960 के नियम 57(1) सी/ग के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दो माह के अन्दर मयप्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

आज दिनांक 02 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(37)

राजाराम बघेल,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी 2016-पौष 25, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 16 सितम्बर, 2015

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है।—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील ग्वालियर (ग्वालियर), चन्देरी (अशोकनगर), राघौगढ़, आरोन (गुना), पृथ्वीपुर, जतारा, पलेरा (टीकमगढ़), लवकुशनगर, गौरीहार, नौगांव, राजनगर, विजावर, बड़ामलहरा, बक्स्वाहा (छतरपुर), अजयगढ़, पन्ना, गुनौर, पर्वई (पन्ना), रामपुरबेलान, उचेहरा, अमरपाटन, महैर, सतना (सतना), हनुमान (रीवा), सोहगपुर, ब्योहारी, गोहपारू, बुढार (शहडोल), जैतहरी, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली, मानपुर (उमरिया), गोपदब्नास, सिंहावल (सीधी), जावद (नीमच), जावरा, बाजना (रत्लाम), खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), राजगढ़, व्यावरा, सारंगपुर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), बैरसिया, वैरागढ़ (भोपाल), रायसेन, बेगमगंज, गोहरगंज, सिलवानी, बाड़ी (रायसेन), जबलपुर, मंझोली (जबलपुर), रीठी, बहोरीबंद, ढीमरखेड़ा, बरही (कटनी), निवास, नैनपुर, नारायणगंज (मंडला), शाहपुरा (डिण्डोरी), जुनारदेव, सोंसर, अमरवाड़ा, चौरई, हरई, चांद (छिन्दवाड़ा), बरधाट, कुरई, घनोरा (सिवनी), लांजी, वारासिवनी, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील मंझोली (सीधी), सैलाना, पिपलोदा, रत्लाम (रत्लाम), उदयगढ़ (अलीराजपुर), सीहोरा, कुंडम (जबलपुर), छिन्दवाड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी, घन्सौर (सिवनी), बालाघाट (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील सेंवढ़ा (दतिया), टीकमगढ़, वल्देवगढ़ (टीकमगढ़), छतरपुर (छतरपुर), शाहनगर (पन्ना), जैतपुर (शहडोल), जोवट, सोण्डवा, चन्द्रशेखर आ. नगर (अलीराजपुर), पानसेमल, पाटी (बड़वानी), गैरतगंज (रायसेन), बिछिया (मंडला), डिण्डोरी, बजाग (डिण्डोरी), बिछुआ, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), लखनादौन (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील अलीराजपुर, कटटीवाड़ा (अलीराजपुर), बड़वानी, ठीकरी, राजपुर, सेंधवा, निवाली (बड़वानी), बुरहानपुर (बुरहानपुर), नसरुल्लागंज (सीहोर), बरेली (रायसेन), परासिया, पांढर्णा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, सीधी, राजगढ़, सिवनी में जुताई रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.—जिला श्योपुर, ग्वालियर में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—जिला हरदा में फसल सोयाबीन व अनूपपुर, डिण्डोरी में मक्का व उज्जैन, कटनी में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू हैं।

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, दमोह, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, देवास, बड़वानी, जबलपुर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहार श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहार श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सामाजिक सूचना-पत्र, समाहांत बुधवार, दिनांक 16 सितम्बर, 2015

जिला/तहसीले	1. सासाह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती है. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	7. ... 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, बाजरा, ज्वार, मूँग, तिल, तुअर उड्ढ. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रौन				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गना-अधिक, उड्ढ, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव	15.8				
जिला दत्तिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, उड्ढ, तिल, मूँगफली, सोयाबीन, गना.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा 2. दत्तिया 3. भाण्डेर	35.0		(2) ..		
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बदरवास				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगरः	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, गन्ना अधिक. उड्ड कम. (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुँगाबली 2. ईसागढ़ 3. अशोकनगर 4. चन्देरी 5. शाढ़ीरा 3.0 ..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड्ड. (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना 2. राघोगढ़ 3. बमोरी 4. आरोन 5. चाचौड़ा 6. कुम्भराज	.. 10.0 .. 17.0				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तिली, उर्दा, मूँग, मूँगफली, सोयाबीन, गन्ना. (2)	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी 2. पृथ्वीपुर 3. जतारा 4. टीकमगढ़ 5. बल्देवगढ़ 6. पलेरा 7. ओरछा	.. 2.0 15.0 49.0 44.0 2.0 ..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तिल अधिक. तुअर कम. (2)	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लवकुश नगर 2. गौरीहार 3. नौगांव 4. छतरपुर 5. राजनगर 6. बिजावर 7. बड़ामलहरा 8. बकस्वाहा	7.0 10.0 15.0 41.6 17.0 8.0 3.2 9.4				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड्ड, मूँग, सोयाबीन, तिल. (2)	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुन्नौर 4. पवई 5. शाहनगर	0.6 6.0 12.0 7.0 46.3				
*जिला सागरः	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) (2)	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़कोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथेन 11. शाहगढ़				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, सोयाबीन, उड़द, तुअर, मूंग, मक्का, धान, तिल. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियांगढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जबेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, तिल, तुअर, उड़द, धान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगावां	..				
3. रामपुर-बधेलान	0.5				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	2.5				
6. अमरपाटन	1.7				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	5.5				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, उड़द, मूंग अधिक. धान, चना कम. तुअर, ज्वार समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊजांज	..				
4. हनुमना	4.2				
5. हुजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. शयपुरकर्जुलियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, सोयाबीन, तुअर बिगड़ी हुई. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	4.0				
2. ब्यौहारी	10.0				
3. गौहपार	16.0				
4. जैसिहनगर	..				
5. बुढार	11.3				
6. जैतपुर	40.0				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. मक्का की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, तुअर, कोदों-कुटकी कम. मक्का, सोयाबीन, तिल समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	14.0				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	8.0				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, तिल, कोदों-कुटकी, उड़द, मूंगफली, तुअर, बाजरा अधिक. धान, ज्वार, मूंग कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	2.0				
2. पाली	16.0				
3. मानपुर	9.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . . . 4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द, मूंग, ज्वार, मक्का समान. (2) . . .	5. . . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . . 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन	0.4 6.6 19.0				
जिला सिंगरौली	मिलीमीटर	2. . . .	3. . . . 4. (1) मक्का अधिक. धान कम. तुअर, ज्वार, कोदों उड़द, मूंग, तिल समान. (2) . . .	5. . . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . . 8. पर्याप्त.
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . . .	3. . . . 4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का कम. (2) . . .	5. . . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . . 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मन्दसौर 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. धुन्थड़का 9. संजीत 10. कथामपुर				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . . .	3. . . . 4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. तिल, तुअर, मूंगफली कम. उड़द समान. (2) . . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद 2. नीमच 3. मनासा	1.0				
जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2. . . .	3. . . . 4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलौदा 6. रत्लाम	5.0 .. 20.0 16.6 25.0 29.0				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . . .	3. . . . 4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार सुधरी हुई. (2) . . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . . 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . . .	3. . . . 4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग. (2) . . .	5. . . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ेदिया 2. शाजापुर 3. शुजालपुर 4. कालापीपल 5. गुलाना				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. कपास, तिल, मूँगफली, कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कनौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, सोयाबीन, उड्ड मूँगफली, कम. कपास, धान समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. थांदला	..				
2. मेघनगर	..				
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, मूँगफली, सोयाबीन, कपास अधिक. ज्वार, बाजरा, उड्ड, कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट	39.8				
2. अलीराजपुर	106.2				
3. कट्टीवाड़ा	59.5				
4. सोण्डवा	37.0				
5. उदयगढ़	21.4				
6. च. शेखर आ. न.	45.6				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर	..				
2. सरदारपुर	..				
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधबानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..				
2. सांवेर	..				
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अन्वेषकलसगर)					
*जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बड़वाह	..				
2. महेश्वर	..				
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मक्का, ज्वार, कपास अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. . .
1. बड़वानी	90.4				
2. ठीकरी	69.0				
3. राजपुर	89.0				
4. सेधवा	59.0				
5. पानसेमल	50.0				
6. पाटी	37.2				
7. निवाली	59.0				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पंथना	..				
3. हरसूद	..				
जिला बुझानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) कपास, मूँगफली. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	85.6				
2. खकनार	7.0				
3. नेपानगर	6.0				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	8.0				
4. ब्यावरा	2.4				
5. सारंगपुर	1.0				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	1.0				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) सोयाबीन उड़द. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) सोयाबीन, मूँग, मक्का, तुअर, धान, ज्वार, मूँगफली. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	10.6				
2. बैरागढ़	14.0				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आष्ट	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	56.0				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन : 1. रायसेन 2. गैरतगंज 3. बेगमगंज 4. गौहरगंज 5. बेरली 6. सिलवानी 7. बाड़ी 8. उदयपुरा	मिलीमीटर 4.0 41.2 2.0 5.0 56.4 2.2 15.0 ..	2. .. 	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मवका, कोदों- कुटकी, तुअर, उड्ड, मूँग, तिल, मूँगफली, सोयाबीन, गन्ना. (2) .. 	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
*जिला बैतूल : 1. भैंसदही 2. घोड़ाड़ोंगरी 3. शाहपुर 4. चिंचोली 5. बैतूल 6. मुलताई 7. आठनेर 8. आमला	मिलीमीटर	2. .. 	3. .. 4. (1) .. (2) .. 	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
जिला होशंगाबाद : 1. सिवनी-मालवा 2. होशंगाबाद 3. बावई 4. इटारसी 5. सोहागपुर 6. पिपरिया 7. वनखेड़ी 8. पचमढ़ी	मिलीमीटर	2. .. 	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) .. 	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला हरदा : 1. हरदा 2. खिड़किया 3. टिमरनी	मिलीमीटर	2. सोयाबीन फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) .. 	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
जिला जबलपुर : 1. सीहोरा 2. पाटन 3. जबलपुर 4. मझौली 5. कुण्डम	मिलीमीटर 33.0 .. 5.7 12.4 21.0	2. .. 	3. .. 4. (1) तुअर अधिक, धान, मूँग, उड्ड, सोयाबीन, तिल, तुअर कम. (2) .. 	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला कटनी : 1. कटनी 2. रीठी 3. विजयराघवगढ़ 4. बहोरीबंद 5. ढीमरखेड़ा 6. बरही	मिलीमीटर .. 17.0 .. 13.0 3.0 8.0	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, तिल, तुअर, कोदों, मवका, ज्वार, मूँग, उड्ड. (2) .. 	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, सोयाबीन, धान, उड़द, गन्ना, मूँग. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडवारा	..				
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) मक्का, सन तिल, धान, उड़द, तुअर कोदों-कुटकी, सोयाबीन. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	5.0				
2. बिछिया	41.1				
3. नैनपुर	8.2				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	9.2				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. मक्का फसल तुड़ाई का कार्य चालू है.	3. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, रामतिल (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	49.2				
2. बजाग	47.0				
3. शाहपुरा	3.4				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द, रामतिल (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	29.0				
2. जुन्नारदेव	9.2				
3. परासिया	68.6				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	14.6				
6. पांदुर्णा	54.8				
7. अमरवाड़ा	16.4				
8. चौरई	5.2				
9. बिछुआ	48.3				
10. हरई	1.6				
12. चांद	2.1				
11. बोलखेड़ा	51.2				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. 4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन, गन्ना . (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	32.8				
2. केवलारी	..				
3. लखनादौन	40.0				
4. बरथाट	14.2				
5. कुरई	2.0				
6. धंसौर	30.0				
7. घनोरा	14.0				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	21.2				
2. लाँजी	9.2				
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	12.5				
5. कटंगी	5.6				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला सागर, खरगौन, बैतूल से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

(21)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खालियर द्वारा मुद्रित-2016.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश।